

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
बुधवार 10 जून, 2009/ ज्येष्ठ 20, 1931 (शक)

संख्या: 31

सदस्य की गिरफ्तारी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित पुलिस उपायुक्त, जिला बाहरी दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है: -

"मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य श्री कुलवन्त राणा को दिनांक 15.9.2008 को दर्ज एफ. आई. आर. न. 686/08 में उनका नाम होने के उन्हें कारण पुलिस थाना प्रशांत विहार द्वारा दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 147/149/186/353/332/333/423 के अंतर्गत उन्हें दिनांक 5.6.2009 को गिरफ्तार किया गया ।

उन्हे उसी दिन अर्थात् दिनांक 5.6.2009 को जमानत पर तुरन्त रिहा दिया गया।"

सिद्धार्थ राव
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters)
Wednesday 10th June 2009/ Jyaistha 20, 1931(Saka)

No. 31

Sub: ARREST AND RELEASE OF MEMBER

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from Addl. Dy. Commissioner of Police, Outer Distt., Delhi.

I have the honour to inform you that Hon'ble Member of Legislative Assembly Shri Kulwant Rana who named in FIR No.686/08 dated 15.9.2008 u/s 147/149/186/353/332/333/323 IPC PS Prashant Vihar, Delhi has been arrested on 5.6.2009 in this case and was released on bail immediately.

SIDDHARATH RAO
Secretary